न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 17/593

1. सत्येन्द्र कुमार पुत्र रमेश चन्द आयु 30 साल ।
2. नारायण सिंह पुत्र रमेश चन्द आयु 21 वर्ष जाति गुर्जर ।
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र रमेश चन्द आयु 35 साल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. चतुर्भुज पुत्र अमर लाल ।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र चतुर्भुज ।
3. रमेश चन्द पुत्र चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासीगण खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री ओम प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 27.03.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 91, 188 एवं 92ए के अन्तर्गत ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 71 नया व 68 पुराना पर खसरा नम्बर 879 की 1.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 889/1 की 0.33 हैक्टर व खसरा नम्बर 911 की 6.39 हैक्टर कुल तीन किता की 8.54 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि वादीगण के दादा प्रतिवादी कम 1 के खाते में दर्ज चली आ रही है जो वादीगण की पुश्तैनी भूमियॉ है जिसमें वादीगण अपीलान्ट भी सहखातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी कम 2 का नाम प्रतिवादी कम 1 के साथ दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि

आराजी को प्रतिवादीगण किसी अन्य को रहन, बेचान व अन्य किसी प्रकार से अन्तरण करे । उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

तत्पश्चात् प्रतिवादी कम 1 चतुर्भुज ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण के दादा जीवित है तथा प्रतिवादी कम 1 के पुत्र व पुत्री भी जीवित हैं । उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि नहीं है । इस कारण वादीगण उक्त भूमि में अपना नाम प्रतिवादी कम 1 के साथ दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है । वादीगण के पिता रमेश चन्द प्रतिवादी कम 3 ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी चाहने हेतु प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध पूर्व में एक वाद संख्या 54/10 पेश किया था जो प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दिनांक 20.08.2010 को खारिज कर दिया जिसकी जानकारी वादीगण को है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में जब एक बार वाद खारिज हो चुका है तो उसी भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को दूसरा वाद पेश करने का अधिकार नहीं है । अतः उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज फरमया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2017 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 चतुर्भुज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा अपने वारिसान को संभला रखी है तथा उक्त भूमि में अपीलान्ट का भी हक अधिकार निहित चला आ रहा है । इस कारण विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करने की कोशिश अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की गरज से की जा रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वाद को सुनने का व उस पर विवाद्यक बिन्दु तय करने का व उस पर सम्पूर्ण साक्ष्य ली जाकर निर्णय करने का अधिकार था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्राथमिकी इश्यू तय किये बिना ही उक्त वाद नियमों के विपरीत जाकर खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के परिवार की संयुक्त आराजी है उसमें वाद की धाराओं के साथ–साथ धारा 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी अनुतोष चाहा गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक स्टेज पर ही उक्त वाद खारिज कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में भी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की मिली भगत से रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 2 को अपने मृतक बडे भाई मदन का गोद पुत्र दर्ज करवा रखा है जबकि कानूनन भाई अपने भाई के गोदपुत्र नहीं जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2017 निरस्त किया जावे ।

के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में ण के दादा जीवित है तथा प्रतिवादी कम 1 के पुत्र व पुत्री भी जीवित हैं । उक्त भूमि गण की पुश्तैनी भूमि नहीं है । इस कारण वादीगण उक्त भूमि में अपना नाम प्रतिवादी कम 1 के साथ दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है । वादीगण के पिता रमेश चन्द प्रतिवादी कम 3 ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी चाहने हेतु प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध पूर्व में एक वाद संख्या 54/10 पेश किया था जो प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दिनांक 20. 08.2010 को खारिज कर दिया जिसकी जानकारी वादीगण को है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में जब एक बार वाद खारिज हो चुका है तो उसी भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को दूसरा वाद पेश करने का अधिकार नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 21.11.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण के दादा जीवित है तथा प्रतिवादी कम 1 के पुत्र व पुत्री भी जीवित हैं । उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि नहीं है । इस कारण वादीगण उक्त भूमि में अपना नाम प्रतिवादी कम 1 के साथ दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है । वादीगण के पिता रमेश चन्द प्रतिवादी कम 3 ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी चाहने हेतु प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध पूर्व में एक वाद संख्या 54/10 पेश किया था जो प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दिनांक 20. 08.2010 को खारिज कर दिया जिसकी जानकारी वादीगण को है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में जब एक बार वाद खारिज हो चुका है तो उसी भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को दूसरा वाद पेश करने का अधिकार नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

11. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 21.11.2017 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/593

1. सत्येन्द्र कुमार पुत्र रमेश चन्द आयु 30 साल ।
2. नारायण सिंह पुत्र रमेश चन्द आयु 21 वर्ष जाति गुर्जर ।
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र रमेश चन्द आयु 35 साल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. चतुर्भुज पुत्र अमर लाल ।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र चतुर्भुज ।
3. रमेश चन्द पुत्र चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासीगण खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 71/दावा/2017

1. सत्येन्द्र कुमार पुत्र रमेश चन्द आयु 30 साल ।
2. नारायण सिंह पुत्र रमेश चन्द आयु 21 वर्ष जाति गुर्जर ।
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र रमेश चन्द आयु 35 साल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—वादी

बनाम

1. चतुर्भुज पुत्र अमर लाल ।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र चतुर्भुज ।
3. रमेश चन्द पुत्र चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासीगण खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 27.03.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री ओम प्रजापति एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री बलराम शर्मा उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 21.11.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 27.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा